



## न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश नवालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक-

1/2015-16 निगरानी

तिथि - ५/१-३-१६

दिनांक ४-३-१६ को  
सुना राजनीत रुचिर छोड़ते हैं।  
बनाम  
४-३-१६

र. ५०  
Rajeev Rajput ४-३-१६ द्वारा

खेमचन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री पातीराम उमा 62  
वर्ष, व्यवसाय-व्यापार, निवासी- ग्राम कालामढ़,  
तहसील- बैराढ़, जिला- शिवपुरी (म.प्र.)

.....निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, शिवपुरी (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश  
दिनांक 11.07.2011 जो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना  
पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.) ने प्रकरण क्रमांक- 49/96-97/बी-121 में  
पारित किया गया।


श्रीमान् महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

### प्रकरण के तथ्य-

1— यहकि, निगरानीकर्ता भूमि सर्वे क्रमांक- 633/2, स्थित- ग्राम भद्रें  
बदोबस्त के दौरान परिवर्तित भूमि सर्वे क्रमांक- 862 ग्राम कालामढ़,  
तहसील बैराढ़ जिला शिवपुरी कुल क्षेत्रफल  $60 \times 60 = 3600$   
वर्गफीट (आबादी) भूमि पर प्रत्यर्थी शासन की जानकारी में दिनांक  
01.04.1977 से अधिपत्यधारी होकर स्वामी की हैसियत से उक्त  
भूमि का उपयोग-उपभोग कर रहा है तथा उक्त भूमि पर कमरा  
बनाकर निवासरत है।

2— यहकि, निगरानीकर्ता ने ग्राम भद्रें के उक्त भूमि सर्वे क्रमांक-  
633/2 वर्तमान में बदोबस्त पश्चात् परिवर्तित सर्वे क्रमांक- 862  
ग्राम कालामढ़ पर वर्ष 1977 से अधिपत्यधारी होने के आधार पर  
उक्त भूमि का स्वामी की हैसियत से व्यवस्थापन किये जाने के  
सम्बन्ध में आवेदन-पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पोहरी  
जिला शिवपुरी के समक्ष दिनांक 01.11.1995 को प्रस्तुत किया,  
जोकि प्रकरण क्रमांक- 49/96-97/बी-121 पर दर्ज हुआ।



1930-1931  
1931-1932  
1932-1933  
1933-1934  
1934-1935  
1935-1936  
1936-1937  
1937-1938  
1938-1939  
1939-1940  
1940-1941  
1941-1942  
1942-1943  
1943-1944  
1944-1945  
1945-1946  
1946-1947  
1947-1948  
1948-1949  
1949-1950  
1950-1951  
1951-1952  
1952-1953  
1953-1954  
1954-1955  
1955-1956  
1956-1957  
1957-1958  
1958-1959  
1959-1960  
1960-1961  
1961-1962  
1962-1963  
1963-1964  
1964-1965  
1965-1966  
1966-1967  
1967-1968  
1968-1969  
1969-1970  
1970-1971  
1971-1972  
1972-1973  
1973-1974  
1974-1975  
1975-1976  
1976-1977  
1977-1978  
1978-1979  
1979-1980  
1980-1981  
1981-1982  
1982-1983  
1983-1984  
1984-1985  
1985-1986  
1986-1987  
1987-1988  
1988-1989  
1989-1990  
1990-1991  
1991-1992  
1992-1993  
1993-1994  
1994-1995  
1995-1996  
1996-1997  
1997-1998  
1998-1999  
1999-2000  
2000-2001  
2001-2002  
2002-2003  
2003-2004  
2004-2005  
2005-2006  
2006-2007  
2007-2008  
2008-2009  
2009-2010  
2010-2011  
2011-2012  
2012-2013  
2013-2014  
2014-2015  
2015-2016  
2016-2017  
2017-2018  
2018-2019  
2019-2020  
2020-2021  
2021-2022  
2022-2023  
2023-2024  
2024-2025  
2025-2026  
2026-2027  
2027-2028  
2028-2029  
2029-2030  
2030-2031  
2031-2032  
2032-2033  
2033-2034  
2034-2035  
2035-2036  
2036-2037  
2037-2038  
2038-2039  
2039-2040  
2040-2041  
2041-2042  
2042-2043  
2043-2044  
2044-2045  
2045-2046  
2046-2047  
2047-2048  
2048-2049  
2049-2050  
2050-2051  
2051-2052  
2052-2053  
2053-2054  
2054-2055  
2055-2056  
2056-2057  
2057-2058  
2058-2059  
2059-2060  
2060-2061  
2061-2062  
2062-2063  
2063-2064  
2064-2065  
2065-2066  
2066-2067  
2067-2068  
2068-2069  
2069-2070  
2070-2071  
2071-2072  
2072-2073  
2073-2074  
2074-2075  
2075-2076  
2076-2077  
2077-2078  
2078-2079  
2079-2080  
2080-2081  
2081-2082  
2082-2083  
2083-2084  
2084-2085  
2085-2086  
2086-2087  
2087-2088  
2088-2089  
2089-2090  
2090-2091  
2091-2092  
2092-2093  
2093-2094  
2094-2095  
2095-2096  
2096-2097  
2097-2098  
2098-2099  
2099-20100

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./791/तीन/2016

जिला- शिवपुरी

खेमचन्द विरुद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अधिकारी  
आदि के हस्ताक्षर

28/7/19

प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 49/1996-97/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 11/07/2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

(Signature)

(आर0क0 जैन) 28/7/19  
सदस्य